



2026: AHC: 32084-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - **3272/2026**

सोनू यादव एवं 4 अन्य याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: दधि बल यादव, कैलाश सिंह यादव, शिशिर त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. श्री हीरा लाल, अधिवक्ता ने आज न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अपना वकालतनामा दायर किया है, जिसे रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।
2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए., प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री हीरा लाल को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 05.01.2026 की एफ.आई.आर. को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिससे अपराध संख्या 0002/2026, बी.एन.एस. धारा 191(2), 115(2), 352, 110, 118(2), 333 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(da), 3(1)(dha), 3(2)(va), थाना शादियाबाद, जिला गाजीपुर उत्पन्न हुआ है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई कथित अपराध प्रकट नहीं होता है और इस तरह, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द किए जाने योग्य है।
5. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. और प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि याचिकाकर्ताओं सहित अभियुक्त व्यक्तियों, जिनकी संख्या छह है, द्वारा लाठी, डंडा और कुल्हाड़ी से किए गए हमले के कारण उर्मिला देवी, दया शंकर और अच्छे लाल नामक तीन पीड़ितों को चोटें आई हैं और उनका चिकित्सकीय परीक्षण भी किया गया है।
6. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. और प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'स्टेट ऑफ तेलंगाना बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी' (2017) 2 SCC 779, 'नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य' (2021) SCC Online SC 315 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय आपराधिक अपील संख्या 843/2024, 'प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी व अन्य' में प्रतिपादित कानून के आलोक में विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता।
7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए परस्पर तर्कों पर विचार करने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं सहित अभियुक्तों, जिनकी संख्या छह है, द्वारा लाठी, डंडा और कुल्हाड़ी से किए गए हमले के कारण उर्मिला देवी, दया शंकर और अच्छे लाल नामक तीन पीड़ितों को चोटें आई हैं और उनका चिकित्सकीय परीक्षण भी किया गया है, और आगे प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए और पीड़ितों को आई चोटों को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, अतः हमारी राय है कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है। इसलिए विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. हालांकि, यदि याचिकाकर्ता उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत/नियमित जमानत के लिए आवेदन दायर करते हैं, तो उनके जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार यथाशीघ्र विचार किया जाएगा और उसका निपटारा किया जाएगा।
9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका अंततः निस्तारित की जाती है।

12 फरवरी, 2026

नदीम

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजिव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"